

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक:आर-63/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-16(गौतम०)/304

दिनांक: अक्टूबर 25, 2016

सेवा में,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-06
गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स वन्डर्स बिल्डमार्ट प्रा०लि० द्वारा प्लॉट न०-एस०सी०-02/ए०-9, सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित गुप हाऊसिंग भवन के (टावर ए०, बी०, बी०-1 कामर्शियल, स्पोर्ट ब्लॉक एवं कम्यूनिटी) कुल-17 टावरों के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:
महोदय,

यूआईडी:2016/25124/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5852/जे०डी०

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 16-10-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र के माध्यम से कर संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई समस्त आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- 1-प्रश्नगत भवन प्लॉट एरिया-80,857.00 वर्ग मी० है।

2-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-9,363.995 वर्ग मी० है। प्रश्नगत पार्सल में प्रस्तावित टावरों का एरिया विवरण निम्नवत है:-

क०स०	नाम टावर	तलों का विवरण	संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	प्रत्येक टावर में स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई मी	ऊँचाई मी०।
01	टावर टाईप-ए०	बेस०,स्टिल्ट भूतल एवं 22 तल	10	471.926 प्रत्येक	438.697 प्रत्येक	02 अदद 01.50/01.25	69.60
02	टावर टाईप-बी०	बेस०,स्टिल्ट भूतल एवं 22 तल	03	435.722 प्रत्येक	417.331 प्रत्येक	02 अदद 01.50/01.25	69.60
03	टावर टाईप बी०-1	बेस०,स्टिल्ट भूतल एवं 22 तल	04	434.686 प्रत्येक	416.295 प्रत्येक	02 अदद 01.50/01.25	69.60
04	कम्यूनिटी	भूतल एवं 02 तल	-	1198.796	1175.464/1000.027/504.713	02 अदद 01.50/01.25	11.95
05	कामर्शियल	भूतल	-	185.730	-	-	08.10
06	स्पोर्ट ब्लॉक	भूतल	-	166.928	-	-	08.10

बेसमेन्ट एरिया:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में एकल बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसका बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-50,572.540 है। बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं के हेतु 45 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन०बी०सी-2005 आवासीय श्रेणी ए०-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 18 मीटर मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन में 02 अदद प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मी० प्रत्येक मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-12.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-12.00 मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी० प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में उपरोक्त तालिका के अनुसार स्टेयरकेस प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट में 02 रैम्प प्राविधानित है तथा प्रस्तावित निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है, इण्टरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन०बी०सी० के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन०बी०सी० के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एन०बी०सी० के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

4-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस

उ०प्र० लखनऊ

- घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।
- 1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।
 - 2-भूमिगत:-प्रश्नगत परिसर में अग्निशमन कार्य हेतु 2,75,000 दो लाख पिच्छत्तर हजार लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 3-पम्प:- प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित/वॉच्छनीय है। जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।
 - 4-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 5-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराईजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में रिग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 7-ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवनों के समस्त तलो पर ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- भवन के समस्त टावरो में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।
 - 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 13-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 15-प्रेसराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।
 - 16-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
 - 17-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
 - 18-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स वन्दर्स बिल्डमार्ट प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-एस0सी0-02/ए0-9, सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के (टावर ए0, बी0, बी0-1 कामर्शियल, स्पोर्ट ब्लॉक एवं कम्प्यूनिटी) कुल-17 टावरों के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायेँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख निदेशक, फायर सर्विस विभाग
नौएडा जनपद

- प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-2 जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4-मैसर्स वन्दर्स बिल्डमार्ट प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0-एस0सी0-02/ए0-9, सेक्टर-150, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।